

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

३५ स्पीड
३५३० (P/S)
०९/७/१२

पटना, दिनांक ०२.०७.२०१२

विषय:- बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) नियमावली, २००५ (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में दंडादेश पारित करने एवं अपील निष्पादन की प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं तथा इस विभाग द्वारा निर्गत अन्य अनुदेशों का सम्यक अनुसरण नहीं किये जाने के दृष्टांत प्राप्त हो रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि विभागीय कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दंडादेश पारित करते समय अधिरोपित शास्तियों के लिए तार्किक आधार, नियमावली की धारा/धाराओं एवं कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट/प्रतिवेदन में आरोप साबित नहीं पाये जाने पर भी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ की धारा-१४ के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई न करके स्वेच्छापूर्ण शास्तियाँ पारित कर दी जाती हैं, जिसका परिणाम होता है कि उक्त प्रकार के विभागीय आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाते हैं। इससे संबंधित सरकारी सेवक को बिना कार्य के वेतन व बकाये वेतन का भुगतान करना पड़ता है और सरकार को अनावश्यक आर्थिक हानि होती है।

२. इसी प्रकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-१४ के तहत संसूचित दंड के विरुद्ध किये गये अपील अभ्यावेदनों के निष्पादन हेतु प्रावधानों का उल्लेख उक्त नियमावली के नियम-२३ से २७ तक में विस्तृत रूप से किया गया है।

उक्त स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी कतिपय विभागों में अपीलीय प्राधिकारों द्वारा मुखर, न्यायसंगत तथा साम्योचित आदेश पारित नहीं किये जाने की सूचना प्राप्त होती रहती है। अपीलीय प्राधिकार द्वारा नियमानुसार अपील आवेदनों का निष्पादन नहीं कर,

मनमाने ढंग से आदेश पारित किये जाने के कारण मामले न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामला रिमांड किये जाने पर भी उसका अनुपालन नहीं कर अर्थात् मुखर आदेश पारित नहीं कर, संक्षिप्त एवं आधारहीन आदेश के द्वारा मामले का निष्पादन किया जाता है। यह स्थिति शोभनीय नहीं है। उदाहरणार्थ, जल संसाधन विभाग से संबंधित एक मामले में उक्त विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 सं0 1284/2010 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रतन कुमार सिंह में दिनांक 13.07.2011 को पारित न्यायादेश में उक्त स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और उक्त अपील को ही Gross abuse of the process of the Court attributable to the State Government generating unwanted and clearly avoidable litigations माना है।

3. विधि विभाग के संकल्प संख्या- 1853/जे. दिनांक- 31.03.2011 के तहत निर्गत "स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी, 2011" की कंडिका-4बी.(2) में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि While passing orders in original jurisdiction or in appeals in respect of disciplinary proceedings a detailed speaking order should be passed. It is the bounden duty of the enquiry officer to follow all the prescribed procedures for conducting the enquiry so that no lapse occurs in the procedural parts and orders are not set aside on that ground and the matter is remanded back for fresh decision.

4. यद्यपि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 से 22 तक में शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया एवं नियम 23 से 27 तक में अपील निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है, तथापि विभागीय पत्रांक- 1893 दिनांक- 14.06.2011 के क्रम में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं-

क. विभागीय कार्यवाहियों का निष्पादन तथा इसके क्रम में अपील आवेदनों का निष्पादन एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है। अतः इनका निष्पादन नियमानुसार तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए किया जाय। सुविधा के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को नीचे उद्धृत किया जाता है:-

- i. '**Audi alteram partem**' means 'hear the other party', अर्थात् किसी को भी उसका पक्ष सुने बगैर दोषी नहीं माना जाना चाहिए।
- ii. '**Nemo debat esse iudex propria causa**', means 'no one shall be a judge in his own cause', अर्थात् अपने विरुद्ध आरोपों की सुनवाई अपने द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए। आरोपों की जाँच निष्पक्ष रूप से एवं पूर्वाग्रह से मुक्त हो कर की जानी चाहिए।
- iii. '**The final order must be a speaking order**', अर्थात् पारित किया गया आदेश तथ्यों पर आधारित एवं मुखर होना चाहिए तथा उससे लिए गये निर्णय पर पहुँचने का कारण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए।

iv. 'The decision must be made in good faith i.e. justice should not only be done but it should manifestly appear to have been done'. अर्थात् न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय किया गया है ऐसा न्याय-निर्णय से साफ-साफ दिखना भी चाहिए।

ख. बहुधा अपील आवेदनों का निष्पादन ऐसे पदाधिकारियों द्वारा कर दिया जाता है जो अपीलीय प्राधिकार की शक्ति धारित ही नहीं करते हैं। उपर्युक्त नियमावली के नियम-24 में एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1025 दिनांक- 28.03.2007 (वर्ष 2010 के परिपत्र संग्रह का पृष्ठ 353) में अपीलीय प्राधिकार विनिर्दिष्ट किये जा चुके हैं। अतः अपील अभ्यावेदन के निष्पादन के समय उक्त नियम एवं संकल्प के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकार के स्तर से ही अपील का नियमानुसार निष्पादन करते हुए आदेश पारित एवं निर्गत किया जाना चाहिए।

ग. अपील की स्थिति विभागीय कार्यवाही में दंडादेश पारित होने के उपरांत आती है। इससे अपीलीय प्राधिकार की अर्द्धन्यायिक जवाबदेही और अधिक हो जाती है। अतः अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील पर विचार करते समय उसे केवल तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जाय बल्कि मामले के 'मेरिट' को भी आधार बनाना चाहिए।

घ. अपील के विचारण के संबंध में उपरोक्त नियमावली के नियम 27 का अनुसरण एवं अनुपालन किया जाय एवं सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत न्यायसंगत एवं साम्योचित आदेश पारित किया जाय। पारित आदेश उचित तरीके से अभिलिखित एवं मुखर हो और उसमें अपीलीय प्राधिकार के निष्कर्ष पर पहुँचने का कारण भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए।

4. कृपया उक्त विन्दुओं का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Deepal
28/6/12
(दीपक कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।